भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2930

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों के कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

2930. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नदियों के कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नदियों के कटाव से भूमि और गांवों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की नदियों से गाद हटाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में भू-जल स्तर के परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह के अब तक के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में भू-जल के तेजी से गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु नीति तैयार की है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखे गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता के साथ-साथ प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय

सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। कुल 529 एफएमपी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमपी घटक के तहत 7136.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इनमें से 427 पूर्ण योजनाओं ने लगभग 5.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 53.69 मिलियन की आबादी को सुरक्षा प्रदान की है।

(ख): नदी में कटाव, गति और तलछट का जमाव एक नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ ढोए गए गाद भार और जमा किए गए गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी व्यवस्था बनी रहती है। नदियों की ड्रेजिंग/डिसिल्टिंग तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इससे मामूली लाभ मिल सकता है और यह केवल अल्पावधि के लिए प्रभावी है। विशिष्ट खंडों जैसे ज्वारीय नदियों, संकीर्ण अवरोधों वाले संगम बिंदुओं आदि में चयनात्मक ड्रेजिंग, कभी-कभी स्थानीय स्थल स्थितियों के आधार पर की जानी पड़ सकती है। तथापि, इसके समर्थन में समुचित वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन का सहारा लिया जाना चाहिए। जल निकासी की समस्या को दूर करने, चैनल क्षमता में सुधार और नौवहन के उद्देश्य से नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों में ड्रेजिंग सहित गाद निकालने के उपायों को आवश्यकतानुसार संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करके "तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा" (एनएफएसएम) तैयार की है। इसका जोर गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और प्रौद्योगिकीय नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। यह रूपरेखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर जोर देती है।

(ग): नीति आयोग के विशेषज्ञ समूह ने माना है कि कुछ क्षेत्रों में अतिदोहन के कारण भारत के भूजल संसाधन गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण छोटे किसानों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ जल स्तर में काफी गिरावट आई है। विशेषज्ञ समूह ने कृत्रिम पुनर्भरण विधियों और स्थायी निष्कर्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसने मजबूत कानूनी सुधारों द्वारा समर्थित समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, विशेषज्ञ समूह ने पुनर्भरण दरों के साथ भूजल उपयोग को संतुलित करते हुए सतत उपज दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन किया है। इसने भूजल स्तर की वैज्ञानिक निगरानी और सतत उपयोग के आकलन की जिम्मेदारी केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य भूजल बोर्डों (एसजीडब्ल्यूबी) को सौंपी है। यदि भूजल स्तर पुनःपूर्ति योग्य सीमा से नीचे चला जाता है, तो केंद्र सरकार पर्यावरण अधिनियम के तहत प्रभावित क्षेत्रों को "पर्यावरणीय रूप से संकटग्रस्त" घोषित करके हस्तक्षेप कर सकती है।

(घ): जल संसाधन के संरक्षण सहित जल संसाधन से संबंधित पहलुओं की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं के अनुसार अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश भर में घटते जल स्तर के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख निम्नानुसार है:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं।

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की है जिसमें देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है और इसमें 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान को राज्य की योजनाओं स्कीमों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक राज्य के एक जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012), अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से नदी, नदी निकायों और अवसंरचना के संरक्षण का भी समर्थन किया गया है।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है।

- सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को एक मॉडल बिल परिचालित किया है ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम हो सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

*****